


दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette
 सत्यमेव जयते

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 339] दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 7, 2017/भाद्र 16, 1939 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 246
No. 339] DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 7, 2017/BHADRA 16, 1939 [N.C.T.D. No. 246

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 6 सितम्बर, 2017

सं0 19/2017- राज्य कर (दर)

सं0फा0 03(26)/वित्त(राज0-1)/2017-18/डीएस-VI/584.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर दिल्ली के राजपत्र, असाधारण भाग IV, में सं0फा0 03(15) /वित्त(राज0-1)/2017-18/डीएस-VI/382 तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित दिल्ली सरकार के वित्त (राजस्व-1) विभाग की अधिसूचना सं0 1/2017 – राज्य कर 30 जून, 2017 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

2. उक्त अधिसूचना में, अनुसूची III -9 प्रतिशत में क्रम संख्या 452 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)
452क	4011 70 00	ट्रैक्टर के लिए टायर
452ख	4013 90 49	ट्रैक्टर के टायर के लिए टयूब
452ग	8408 20 20	ट्रैक्टर के लिए एग्रीकल्चरल डीजल इंजन जिनकी सिलिंडर क्षमता 250 सीसी से अधिक हो
452घ	8313 81 90	ट्रैक्टर के लिए हाइड्रोलिक पम्पस
452ङ.	8708 10 10	ट्रैक्टर के बम्पर और उसके कलपुर्जे
452च	8708 30 00	ट्रैक्टर के ब्रेक असेंबली और उसके कलपुर्जे
452छ	8708 40 00	ट्रैक्टर के गियर बाक्स और उसके कलपुर्जे
452ज	8708 50 00	ट्रैक्टर के ट्रांसएक्सल और उसके कलपुर्जे

452अ	8708 70 00	ट्रैक्टर के रोड व्हील्स और उसके कलपुर्जे और श्रृंखला
452ब	8708 91 00	(i) ट्रैक्टर के रेडिएटर असेंबली और उसके कलपुर्जे (ii) ट्रैक्टर इंजन के लिए कूलिंग सिस्टम और उसके कलपुर्जे
452ट	8708 92 00	ट्रैक्टर के साइलेंसर असेंबली और उसके कलपुर्जे
452ठ	8708 93 00	ट्रैक्टर के क्लच असेंबली और उसके कलपुर्जे
452ड	8708 94 00	ट्रैक्टर के स्टीयरिंग व्हील्स और उसके कलपुर्जे
452ढ	8708 99 00	ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक और उसके कलपुर्जे
452ण	8708 99 00	ट्रैक्टर के फेंडर, हुड, रेपर, ग्रिल, साइड पैनल, एक्सटेंशन प्लेट्स, ईंधन टैंक और उनके कलपुर्जे ”

3. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ए. के. सिंह, उप-सचिव VI (वित्त)

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं० 1/2017- राज्य कर, तारीख 30 जून, 2017, सं०फा० 03(15)/वित्त(राज०-1)/2017-18/डीएस-VI/382 तारीख 30 जून, 2017 दिल्ली के राजपत्र, असाधारण भाग IV, में, प्रकाशित की गई थी और सं०फा० 03(20)/वित्त(राज०-1)/2017-18/डीएस-VI/479, तारीख 31 जूलाई, 2017 उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 18/2017- राज्य कर (दर)), तारीख 31 जूलाई, 2017 के द्वारा किया गया था।

FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 6th September, 2017

No. 19/2017-State Tax (Rate)

No. F3(26)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/584.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of National Capital Territory of Delhi, Finance Department (Revenue -1), No.1/2017-State Tax, dated the 30th June, 2017 published in the Delhi Gazette, Extraordinary, Part IV, *vide* number No.F3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/382 dated the 30th June, 2017, namely:-

2. In the said notification, in Schedule III – 9%, after serial number 452 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)
“452A	4011 70 00	Tyre for tractors
452B	4013 90 49	Tube for tractor tyres
452C	8408 20 20	Agricultural Diesel Engine of cylinder capacity exceeding 250 cc for Tractor
452D	8413 81 90	Hydraulic Pumps for Tractors
452E	8708 10 10	Bumpers and parts thereof for tractors
452F	8708 30 00	Brakes assembly and its parts thereof for tractors
452G	8708 40 00	Gear boxes and parts thereof for tractors
452H	8708 50 00	Transaxles and its parts thereof for tractors
452I	8708 70 00	Road wheels and parts and accessories thereof for tractors
452J	8708 91 00	(i) Radiator assembly for tractors and parts thereof (ii) Cooling system for tractor engine and parts thereof
452K	8708 92 00	Silencer assembly for tractors and parts thereof
452L	8708 93 00	Clutch assembly and its parts thereof for tractors
452M	8708 94 00	Steering wheels and its parts thereof for tractor

452N	8708 99 00	Hydraulic and its parts thereof for tractors
452O	8708 99 00	Fender, Hood, wrapper, Grill, Side Panel, Extension Plates, Fuel Tank and parts thereof for tractors".

3. This notification shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

A. K. SINGH, Dy. Secy. VI (Finance)

Note : The principal notification No.1/2017-State Tax, dated the 30th June, 2017 was published in the Delhi Gazette, Extraordinary, Part IV, *vide* number No.F3 (15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/382 dated the 30th June, 2017 and last amended *vide* notification No 18/2017- State Tax (Rate) dated the 31st July, 2017 published *vide* number F3 (20)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/479 dated the 31st July, 2017.

अधिसूचना

दिल्ली, 6 सितम्बर, 2017

सं० 20 /2017- राज्य कर (दर)

सं०फा० 03(27)/वित्त(राज०-1)/2017-18/डीएस-VI/585.—दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 9 की उपधारा (1) धारा 11 की उपधारा (1), धारा 15 की उपधारा (5) और धारा 16 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद्वारा दिल्ली सरकार, वित्त विभाग (राजस्व-1) की अधिसूचना सं. 11/2017-राज्य कर (दर) दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सं. फा. 03 (15) वित्त (राज०-1)/2017-18/डीएस-VI/381 दिनांक 30 जून, 2017 दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग IV, में प्रकाशित किया गया था, में परिषद की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

(i) क्रम सं. 3 के समक्ष, कॉलम (3) की मद सं. (iii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
“(iii) निर्माण ठेके की संयुक्त आपूर्ति, जैसा कि दिल्लीमाल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के उपवाक्य (119) में परिभाषित हो, और जो कि सरकार, स्थानीय निकाय या किसी सरकारी प्राधिकरण को निम्नलिखित के निर्माण, संरचना, स्थापना, पूरा करने मरम्मत करने, नवीनीकरण करने या परिवर्तन करने के माध्यम से प्रदान की गई हो, - (क) ऐतिहासिक इमारत, प्रागैतिहासिक स्थल या ऐतिहासिक महत्व के अवशेष या प्रागैतिहासिक उत्खनन या प्राचीन वस्तुएं जो कि प्राचीन स्मारक एवं प्रागैतिहासिक स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24); (ख) नहर, बांध और अन्य सिंचाई के बांध; (ग) पाइप लाइन, कन्डुइट या प्लांट जो कि (i) जल आपूर्ति (ii) जल शोधन, या (iii) सीवरेज शोधन या नितान के लिए हों।	6	-
(iv) निर्माण ठेके के लिए संयुक्त आपूर्ति जो कि दिल्लीमाल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के उपवाक्य (119) में यथा विनिर्दिष्ट हो और निम्नलिखित के निर्माण, स्थापना, पूरा करने, मरम्मत करने, देख रेख करने, नवीनीकृत करने या संशोधित करने के लिए की गई हो, यथा - (क) सड़क, पुल, सुरंग या टर्मिनल जो कि सामान्य जनता के सड़क परिवहन के लिए प्रयोग की जाती हो;	6	-

<p>(ख) सिविल निर्माण कार्य या अन्य मूल निर्माण कार्य जो कि जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन या राजीव आवास योजना की किसी स्कीम से संबंधित हो;</p> <p>(ग) सिविल निर्माण कार्य या अन्य मूल निर्माण कार्य जो कि सभी के लिए (शहरी) आवास मिशन/ प्रधान मंत्री आवास योजना, के अंतर्गत "निजी भागीदारी के माध्यम से वर्तमान स्लम वासियों की उनकी वर्तमान जमीन का संसाधन के रूप में प्रयोग करके स्वस्थानिक आवास" से संबंधित हो, केवल वर्तमान स्लम वासियों के लिए;</p> <p>(घ) सिविल निर्माण कार्य या अन्य मूल निर्माण कार्य जो कि सब के लिए (शहरी) आवास मिशन/ प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत "लाभान्भोगी उन्मुखी व्यक्तिगत आवास निर्माण/ संवर्धन" से संबंधित हो;</p> <p>(ङ) प्रदूषण नियंत्रण कचरा निपटान संयंत्र, उनको छोड़कर जो कि कारखाने के एक हिस्से के रूप में अवस्थित हों; या</p> <p>(च) संरचनाएं जो कि श्मसान या कब्रगाह, शवदाह के लिए हो।</p>		
<p>(v) निर्माण ठेके के लिए संयुक्त आपूर्ति जो कि दिल्लीमाल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 की उपधारा (119) में यथा परिभाषित हों और ऐसे निर्माण, स्थापना या मूल निर्माण के माध्यम से की गई हो जो कि निम्नलिखित से संबंधित है,-</p> <p>(क) रेलवे, मोनोरेल और मेट्रो को छोड़कर;</p> <p>(ख) एकल आवासीय इकाई जो कि किसी आवासीय परिपद के हिस्से से पृथक हो;</p> <p>(ग) कम लागत वाले मकान जिनका कारपेट एरिया प्रति मकान 60 वर्गमीटर तक हो और ऐसी आवासीय परियोजना में हो जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चलाई गई "स्कीम ऑफ अफोर्डेबल हाऊसिंग इन पार्टनरशिप" के अंतर्गत अनुमोदित हो;</p> <p>(घ) कम लागत वाले मकान जिनका कारपेट एरिया प्रति मकान 60 वर्गमीटर तक हो और जो ऐसी आवासीय परियोजना में हो जिनको कि सक्षम प्राधिकारी ने निम्नलिखित के अंतर्गत अनुमोदित किया हो-</p> <p>(1) सब के लिए (शहरी) मकान मिशन/ प्रधानमंत्री आवास योजना के 'अफोर्डेबल हाऊसिंग इन पार्टनरशिप';</p> <p>(2) राज्य सरकार की कोई आवासीय योजना;</p> <p>(ङ) कृषि उत्पादों के फसलोपरान्त भण्डारण की संरचनाएं जिसमें कोल्ड इस्टोरेज भी आता है; या</p> <p>(च) मैकनाइज्ड फूड ग्रेन हैण्डलिंग सिस्टम, मशीनरी या उपकरण जो कि उन इकाईयों के लिए हो जहां कि कृषि उत्पादों का खाद्य पदार्थ के रूप में प्रसंस्करण होता है, अल्कोहल युक्त पेय को छोड़कर।</p>	6	-
(vi) उपर्युक्त (i), (ii), (iii), (iv) और (v) से भिन्न निर्माण सेवाएं।	9	-";

(ii) क्रम सं. 8 के समक्ष, कॉलम (3) के मद (vi) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर कॉलम (3), (4) और (5) में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

(3)	(4)	(5)
<p>"(vi) जहां ईंधन की लागत सेवा प्राप्तिकर्ता से प्रभारित प्रतिफल में सम्मिलित की जाती है, वहां मोटर कैब द्वारा यात्रियों का परिवहन ।</p>	2.5	<p>बशर्ते सेवा की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है । (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें)</p>
		या
	6	-";

(iii) क्रम सं. 9 के समक्ष, कॉलम (3) के मद (iii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर कॉलम (3), (4) और (5) में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

(3)	(4)	(5)
“(iii) माल (जिसके अंतर्गत वैयक्तिक उपयोग के लिए उपयोग किया गया घरेलू माल भी है) के परिवहन के संबंध में परिवहन अभिकरण की सेवाएं। स्पष्टीकरण : “माल परिवहन अभिकरण” से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो सड़क से माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है और प्रेषण नोट, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जारी करता है।	2.5	बशर्ते सेवा की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है। (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें)
		या
	6	बशर्ते कि ऐसे माल परिवहन अभिकरण जो कि इस प्रविष्टि के अंतर्गत 6 प्रतिशत की दर से राज्य कर का भुगतान करने का विकल्प चुनती है, उसे तद्दोपरांत अपने द्वारा माल परिवहन अभिकरण की आपूर्ति की जाने वाली सभी सेवाओं पर 6 प्रतिशत की दर से राज्य कर का भुगतान करना पड़ेगा।”;

(iv) क्रम सं. 10 के समक्ष कॉलम (3) के मद (i) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर कॉलम (3), (4) और (5) में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
“(i) जहां ईंधन की लागत सेवा प्राप्तकर्ता से प्रभारित प्रतिफल में सम्मिलित की जाती है वहां मोटर कैब को किराए पर देना।	2.5	बशर्ते सेवा की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है। (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें)
		या
	6	-”;

(v) क्रम सं. 11 के समक्ष कॉलम (3) के मद (i) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर कॉलम (3), (4) और (5) में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
“(i) मालों के परिवहन के संबंध में माल परिवहन अधिकरण (जीटीए) की सेवाएं (जिसके अंतर्गत घर गृहस्थी का उपयोग किया गया माल है। स्पष्टीकरण- “माल परिवहन अधिकरण” से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो सड़क से माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है और प्रेषण नोट, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जारी करता है।	2.5	बशर्ते सेवा की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है। (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें)
		या
	6	बशर्ते कि ऐसे माल परिवहन अभिकरण जो कि इस प्रविष्टि के अंतर्गत 6 प्रतिशत की दर से राज्य कर का भुगतान करने का विकल्प चुनती है, उसे तद्दोपरांत अपने द्वारा माल परिवहन अभिकरण की आपूर्ति की जाने वाली सभी सेवाओं पर 6 प्रतिशत की दर से राज्य कर का भुगतान करना पड़ेगा।”;

(vi) क्रम सं. 26 के समक्ष,—

(क) कॉलम (3) में मद (i) के समक्ष,—

(क) उप-मद (ख), के स्थान पर निम्नलिखित उप-मद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :—

“(ख) वस्त्र एवं वस्त्र उत्पाद जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 50 से 63 के अंतर्गत आते हैं;”;

(ख) स्पष्टीकरण को निरसित कर दिया जाएगा;

(ख) कॉलम (3) में मद (ii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर कॉलम (3), (4) और (5), में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

(3)	(4)	(5)
“(ii) अन्य व्यक्तियों के माल पर किया गया कोई उपचार या की गयी प्रक्रिया के माध्यम से प्रदान की गई सेवाएं जो कि निम्नलिखित से संबंधित है - (क) समाचार पत्रों का मुद्रण; (ख) पुस्तकों (जिसके अंतर्गत ब्रेल पुस्तकें हैं), पत्रों और आवधिक पत्रों का मुद्रण।	2.5	-
(iii) पूर्वोक्त (i) और (ii) से भिन्न अन्य के स्वामित्व में भौतिक इनपुट (माल) पर विनिर्माण सेवाएं।	9	-”;

(vii) क्रम सं. 27 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“27	शीर्ष 9989	(i) समाचार पत्र, पुस्तकें (जिसमें ब्रेल पुस्तकें भी शामिल हैं) पत्रों और आवधिक पत्रों के मुद्रण के माध्यम से दी जाने वाली सेवा, जहां कि प्रकाशक द्वारा केवल विषयवस्तु प्रदान की जाती है और जिसमें कागज़ समेत प्रिंटिंग के लिए प्रयोग होने वाले भौतिक इनपुट प्रिंटर के होते हैं।	6	-
		(ii) उपर्युक्त (i) से भिन्न अन्य विनिर्माणकारी सेवाएं; प्रकाशन, मुद्रण और पुनः उत्पादन सेवाएं; सामग्री वसूली सेवाएं।	9	-”;

(viii) क्रम सं. 34 के समक्ष कॉलम (3) में, मद (i) में शब्द “ड्रामा है” के पश्चात “या प्लेनेटेरियम” शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा।

यह अधिसूचना दिनांक 22 अगस्त, 2017 से प्रभावी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ए. के. सिंह, उप-सचिव VI (वित्त)

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं0 11/2017- राज्य कर, तारीख 30 जून, 2017, सं0फा0 03(15)/वित्त(राज0-1)/2017-18/डीएस-VI/381 तारीख 30 जून, 2017 दिल्ली के राजपत्र, असाधारण भाग IV, में, प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

Delhi, the 6th September, 2017

No. 20/2017-State Tax (Rate)

No. F3(27)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/585.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and sub-section (1) of section 16 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of Delhi, Finance Department (Revenue-1), No.11/2017- State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F3 (15)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/381, dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table,-

(i) against serial number 3, for item (iii) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely:-

(3)	(4)	(5)
<p>“(iii) Composite supply of works contract as defined in clause (119) of section 2 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017, supplied to the Government, a local authority or a Governmental authority by way of construction, erection, commissioning, installation, completion, fitting out, repair, maintenance, renovation, or alteration of,-</p> <p>(a) a historical monument, archaeological site or remains of national importance, archaeological excavation, or antiquity specified under the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958);</p> <p>(b) canal, dam or other irrigation works;</p> <p>(c) pipeline, conduit or plant for (i) water supply(ii) water treatment, or (iii) sewerage treatment or disposal.</p>	6	-
<p>(iv) Composite supply of works contract as defined in clause (119) of section 2 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017, supplied by way of construction, erection, commissioning, installation, completion, fitting out, repair, maintenance, renovation, or alteration of,-</p> <p>(a) a road, bridge, tunnel, or terminal for road transportation for use by general public;</p> <p>(b) a civil structure or any other original works pertaining to a scheme under Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission or Rajiv AwaasYojana;</p> <p>(c) a civil structure or any other original works pertaining to the “In-situ rehabilitation of existing slum dwellers using land as a resource through private participation” under the Housing for All (Urban) Mission/Pradhan Mantri AwasYojana, only for existing slum dwellers;</p> <p>(d) a civil structure or any other original works pertaining to the “Beneficiary led individual house construction / enhancement” under the Housing for All (Urban) Mission/Pradhan Mantri AwasYojana;</p> <p>(e) a pollution control or effluent treatment plant, except located as a part of a factory; or</p> <p>(f) a structure meant for funeral, burial or cremation of deceased.</p>	6	-
<p>(v) Composite supply of works contract as defined in clause (119) of section 2 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017, supplied by way of construction, erection, commissioning, or installation of original works pertaining to,-</p> <p>a) railways, excluding monorail and metro;</p> <p>b) a single residential unit otherwise than as a part of a residential complex;</p> <p>c) low-cost houses up to a carpet area of 60 square meters per house in a housing project approved by competent authority empowered under the 'Scheme of Affordable Housing in Partnership' framed by the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation, Government of India;</p> <p>d) low cost houses up to a carpet area of 60 square metres per house in a housing project approved by the competent authority under-</p>	6	-

1) the “Affordable Housing in Partnership” component of the Housing for All (Urban) Mission/ Pradhan Mantri AwasYojana; 2) any housing scheme of a State Government; (e) post-harvest storage infrastructure for agricultural produce including a cold storage for such purposes; or (f) mechanised food grain handling system, machinery or equipment for units processing agricultural produce as food stuff excluding alcoholic beverages.		
(vi) Construction services other than (i), (ii), (iii), (iv) and (v) above.	9	-”;

(ii) against serial number 8, for item (vi) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely:-

(3)	(4)	(5)
“(vi) Transport of passengers by motor cab where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to Explanation No. (iv)]
	or	
	6	-”;

(iii) against serial number 9, for item (iii) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely:-

(3)	(4)	(5)
“(iii) Services of goods transport agency (GTA) in relation to transportation of goods (including used household goods for personal use). Explanation.- “goods transport agency” means any person who provides service in relation to transport of goods by road and issues consignment note, by whatever name called.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to Explanation No. (iv)]
	or	
	6	Provided that the goods transport agency opting to pay State tax @6% under this entry shall, thence forth, be liable to pay State tax @ 6% on all the services of GTA supplied by it.”;

(iv) against serial number 10, for item (i) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely:-

(3)	(4)	(5)
“(i) Renting of motor cab where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to Explanation No. (iv)]
	or	
	6	-”;

(v) against serial number 11, for item (i) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely:-

(3)	(4)	(5)
“(i) Services of goods transport agency (GTA) in relation to transportation of goods (including used household goods for personal use).	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not

Explanation.- “goods transport agency” means any person who provides service in relation to transport of goods by road and issues consignment note, by whatever name called.		been taken [Please refer to Explanation No. (iv)]
	or	
	6	Provided that the goods transport agency opting to pay State tax @ 6% under this entry shall, thenceforth, be liable to pay State tax @ 6% on all the services of GTA supplied by it.”;

(vi) against serial number 26,-

(a) in column (3), in item (i),-

(A) for sub-item (b), the following sub-item shall be substituted, namely:-

“(b) Textiles and textile products falling under Chapter 50 to 63 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);”;

(B) the Explanation shall be omitted;

(b) for item (ii) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely:-

(3)	(4)	(5)
“(ii) Services by way of any treatment or process on goods belonging to another person, in relation to- (a) printing of newspapers; (b) printing of books (including Braille books), journals and periodicals.	2.5	-
(iii) Manufacturing services on physical inputs (goods) owned by others, other than (i) and (ii) above.	9	-”;

(vii) for serial number 27 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“27	Heading 9989	(i) Services by way of printing of newspapers, books (including Braille books), journals and periodicals, where only content is supplied by the publisher and the physical inputs including paper used for printing belong to the printer.	6	-
		(ii) Other manufacturing services; publishing, printing and reproduction services; materials recovery services, other than (i) above.	9	-”;

(viii) against serial number 34, in column (3), in item (i), after the word “drama”, the words “ or planetarium” shall be inserted.

This notification shall come into force with effect from the 22nd day of August, 2017.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

A. K. SINGH, Dy. Secy. VI (Finance)

Note : The principal notification was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, vide notification No. 11/2017 – State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, vide number F3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/381, dated the 30th June, 2017.

अधिसूचना

दिल्ली, 6 सितम्बर, 2017

सं० 21/2017- राज्य कर (दर)

सं०फा० 03(27)/वित्त(राज०-1)/2017-18/डीएस-VI/586.—दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद्वारा दिल्ली सरकार, वित्त विभाग (राजस्व-1) की अधिसूचना सं. 12/2017-राज्य कर (दर) दिनांक

30 जून, 2017, जिसे फा. सं. 03(15)वित्त (राज.-1) 2017-18/डीएस/VI/380 दिनांक 30 जून, 2017 दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग IV, में प्रकाशित किया गया था, में परिषद् की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) सारणी में,-

(क) क्रम सं. 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9क	अध्याय 99	फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एशोसिएशन (एफआईएफए) और इसके सब्सिडियरी के द्वारा और इनको प्रदान की गई सेवाएं जोकि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एफआईएफए यू-17 विश्व कप 2017, जोकि भारत में होना है, की किसी भी घटना से संबंधित हो।	कुछ नहीं	वशर्ते कि निदेशक (खेल), युवा और खेल मंत्रालय, के द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि ये सेवाएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फीफा यू-17 विश्व कप 2017 की किसी घटना से संबंधित है।";

(ख) क्रम सं. 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"11क	शीर्ष 9961 या शीर्ष 9962	किसी कमीशन या मार्जिन के एवज में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गेहूं, चावल और मोटे अनाज की बिक्री के माध्यम से उचित मूल्य दर वाली दुकानों के द्वारा केंद्र सरकार को प्रदान की जाने वाली सेवा।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
11ख	शीर्ष 9961 या शीर्ष 9962	किसी कमीशन या मार्जिन के एवज में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मिट्टी का तेल, चीनी, खाद्य तेल आदि की बिक्री के माध्यम से उचित मूल्य दर वाली दुकानों के द्वारा राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की जाने वाली सेवा।	कुछ नहीं	कुछ नहीं";

(ग) क्रम सं. 35 के समक्ष, कॉलम (3) में,-

(क) मद (ज) में, "मौसम आधारित फसल बीमा स्कीम या उपांतरित राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम" शब्दों के स्थान पर "पुनर्संचित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूसीआईएस)", शब्द, कोष्ठक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) मद (ज) में, "राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना)" शब्दों के स्थान पर "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)", शब्द, कोष्ठक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) पैराग्राफ 3 में, स्पष्टीकरण में, उपवाक्य (ii) के पश्चात, निम्नलिखित उपवाक्य को अंतःस्थापित किया जाएगा:-

"(iii) लिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, 2008 (2009 का 6) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्मित और पंजीकृत एक "लिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनरशिप" को एक पार्टनरशिप फर्म या फर्म में माना जाएगा।"

यह अधिसूचना दिनांक 22 अगस्त, 2017 से प्रभावी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ए. के. सिंह, उप-सचिव-VI (वित्त)

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं0 12/2017- राज्य कर, तारीख 30 जून, 2017, सं0फा0 03(15) /वित्त(राज0-1)/2017-18/डीएस-VI/380 तारीख 30 जून, 2017 दिल्ली के राजपत्र, असाधारण भाग IV, में, प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

Delhi, the 6th September, 2017

No. 21/2017-State Tax (Rate)

No. F3(27)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/586.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of Delhi, Finance Department (Revenue-1), No.12/2017- State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F3 (15)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/380 dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification,-

(i) in the Table,-

(a) after serial number 9 and the entries relating thereto, the following shall be inserted namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“9A	Chapter 99	Services provided by and to Fédération Internationale de Football Association (FIFA) and its subsidiaries directly or indirectly related to any of the events under FIFA U-17 World Cup 2017 to be hosted in India.	Nil	Provided that Director (Sports), Ministry of Youth Affairs and Sports certifies that the services are directly or indirectly related to any of the events under FIFA U-17 World Cup 2017.”;

(b) after serial number 11 and the entries relating thereto, the following shall be inserted namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“11A	Heading 9961 or Heading 9962	Service provided by Fair Price Shops to Central Government by way of sale of wheat, rice and coarse grains under Public Distribution System(PDS) against consideration in the form of commission or margin.	Nil	Nil
11B	Heading 9961 or Heading 9962	Service provided by Fair Price Shops to State Governments or Union territories by way of sale of kerosene, sugar, edible oil, etc. under Public Distribution System (PDS) against consideration in the form of commission or margin.	Nil	Nil”;

(c) against serial number 35, in column (3),-

(A) in item (h), for the words “Weather Based Crop Insurance Scheme or the Modified National Agricultural Insurance Scheme”, the words, brackets and letters “Restructured Weather Based Crop Insurance Scheme (RWCIS)”, shall be substituted;

(B) in item (j), for the words “National Agricultural Insurance Scheme (Rashtriya Krishi Bima Yojana)”, the words, brackets and letters “Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY)”, shall be substituted;

(ii) in paragraph 3, in the Explanation, after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely:-

“(iii) A “Limited Liability Partnership” formed and registered under the provisions of the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009) shall also be considered as a partnership firm or a firm.”.

This notification shall come into force with effect from the 22nd day of August, 2017.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

A. K. SINGH, Dy. Secy. VI (Finance)

Note : The principal notification was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, vide notification No. 12/2017 – State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, vide number F3 (15)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/380 dated the 30th June, 2017.

अधिसूचना

दिल्ली, 6 सितम्बर, 2017

सं0 22/2017- राज्य कर (दर)

सं0फा0 03(27)/वित्त(राज0-1)/2017-18/डीएस-VI/587.—दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 9 की उपधारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद्वारा दिल्ली सरकार, वित्त विभाग (राजस्व-1) की अधिसूचना सं. 13/2017-राज्य कर (दर) दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सं. फा. 03 (15)/वित्त (राज.-1) 2017-18/डीएस-VI/379 दिनांक 30 जून, 2017 दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग IV, में प्रकाशित किया गया था, में परिषद् की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा-

उक्त अधिसूचना में,-

- (i) सारणी में, क्रम सं. 1 के समक्ष, कॉलम (2) में, शब्द और कोष्ठक “माल वाहक अभिकरण (जीटीए)” के पश्चात शब्द और अक्षर “, जिसे 6 प्रतिशत की दर से केंद्रीय कर का भुगतान नहीं किया है,” अंतःस्थापित किए जाएंगे;
- (ii) स्पष्टीकरण में, उपवाक्य (घ) के पश्चात, निम्नलिखित उपवाक्य को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा-

“(ड) लिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, 2008 (2009 का 6) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्मित और पंजीकृत “लिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनरशिप” को एक पार्टनरशिप फर्म या फर्म माना जाएगा।”

यह अधिसूचना दिनांक 22 अगस्त, 2017 से प्रभावी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
ए. के. सिंह, उप-सचिव -VI (वित्त)

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं0 13/2017- राज्य कर, तारीख 30 जून, 2017, सं0फा0 03(15) /वित्त(राज0-1)/2017-18/डीएस-VI/379 तारीख 30 जून, 2017 दिल्ली के राजपत्र, असाधारण भाग IV, में, प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

Delhi, the 6th September, 2017

No. 22/2017-State Tax (Rate)

No. F3(27)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/587.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council hereby makes the following amendments in the notification of the Government of Delhi, Finance Department (Revenue-1), No.13/2017- State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/379, dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification,-

- (i) in the Table, against serial number 1, in column (2), after the; words and brackets “goods transport agency (GTA)” the words and figure “, who has not paid central tax at the rate of 6%,” shall be inserted;
- (ii) in the Explanation, after clause (d), the following clause shall be inserted, namely:-

“(e) A “Limited Liability Partnership” formed and registered under the provisions of the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009) shall also be considered as a partnership firm or a firm.”.

This notification shall come into force with effect from the 22nd day of August, 2017.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
A. K. SINGH, Dy. Secy. VI (Finance)

Note : The principal notification was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, vide notification No. 13/2017 – State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, vide F3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/379, dated the 30th June, 2017.

अधिसूचना

दिल्ली, 6 सितम्बर, 2017

सं0 23/2017- राज्य कर (दर)

सं0फा0 03(27)/वित्त(राज0-1)/2017-18/डीएस-VI/588.—दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 9 की उपधारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद्वारा दिल्ली सरकार, वित्त विभाग (राजस्व-1) की अधिसूचना सं. 17/2017-राज्य कर (दर) दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सं. फा. 03(15)/वित्त (राज.-1)/2017-18/डीएस-VI-375 दिनांक 30 जून, 2017 दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग IV, में प्रकाशित किया गया था, में परिषद् की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा-

उक्त अधिसूचना में, प्रथम पैराग्राफ में उपवाक्य (ii) के पश्चात निम्नलिखित उपवाक्य को अंतःस्थापित किया जाएगा:-

“(iii) हाउस किपिंग के माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं जैसे कि प्लंबिंग, कारपेंटरिंग इत्यादि, सिवाय वहां के जहां इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से ऐसी सेवाओं की पूर्ति करने वाला व्यक्ति दिल्ली माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी है।”

यह अधिसूचना दिनांक 22 अगस्त, 2017 से प्रभावी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ए. के. सिंह, उप-सचिव-VI (वित्त)

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं0 17/2017- राज्य कर, (दर) तारीख 30 जून, 2017, सं0फा0 03(15) /वित्त(राज0-1)/2017-18/डीएस-VI/375 तारीख 30 जून, 2017 दिल्ली के राजपत्र, असाधारण भाग IV, में, प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

Delhi, the 6th September, 2017

No. 23/2017-State Tax (Rate)

No. F. 3(27)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/588.—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 9 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of Delhi, Finance Department (Revenue-1), No.17/2017- State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F3 (15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/ 375 dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the first paragraph, after clause (ii) the following clause shall be inserted, namely:-

“(iii) services by way of house-keeping, such as plumbing, carpentering etc, except where the person supplying such service through electronic commerce operator is liable for registration under sub-section (1) of section 22 of the said Delhi Goods and Services Tax Act.”.

This notification shall come into force with effect from the 22nd day of August, 2017.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

A. K. SINGH, Dy. Secy. VI (Finance)

Note : The principal notification was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, vide notification No. 17/2017 – State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, vide number F. 3 (15)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/ 375 dated the 30th June, 2017.